अनारक्षित 422 [19/2/2026]

प्रश्न सं. [क्र. 422]

कार्यालय जिला पंचायत मुरैना (म0प्र0)

क्रमांक/शिक्षा/सं.शा.शि./भर्ती/2003/ CS/G मुरैना,दिनांक 30/6/2003

// आ दे श //

मध्य प्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियम–2003 के द्वारा संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–एक की भर्ती हेतु प्राप्त निर्देशों के तहत चयनित अभ्यर्थियों को संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–एक के पद पर मासिक संविदा राशि (समेकित तथा प्रथम नियुक्ति पर नियत) रूपये 4500/– में उनके नाम के सम्मुख अंकित शाला में निम्न शर्तों के अधीन पूर्णतः अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है।

1– संविदा शाला शिक्षक के पद पर सीधी भरती से चयनित प्रत्येक व्यक्ति किसी विशिष्ट स्कूल के लिये तीन वर्ष की कालावधि के लिये नियुक्त किया जायेगा प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा शाला शिक्षक के प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। तीन वर्ष के पश्चात संविदा शाला शिक्षकों को उनके कार्य, आचरण तथा प्रदर्शन के आधार पर पंचायत के द्वारा पुनः आगामी तीन वर्ष के लिये संविदा पर नियुक्त किया जा सकेगा, ऐसा व्यक्ति नवीन नियुक्ति पर संविदा राशि में 15 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करने का हकदार होगा यदि संविदा शाला शिक्षक का कार्य समाधानप्रद नहीं है तो पंचायत द्वारा उसकी सेवा समाप्त की जाएगी।

2– संविदा शाला शिक्षक, जिला पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होंगे।

3– इन नियमों के अधीन पारित आदेश के विरूद्व अपील, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार होगी।

4– इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति,पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के माध्यम से पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करेगा।

5– इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति पंचायत के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को लागू नियमों के अनुसार केवल यात्रा भत्तों का हकदार होगा।

6– इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, पेंशन संबंधी फायदों का हकदार नहीं होगा।

7– इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति एक वर्ष में 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिवस के ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा, किन्तु किसी अन्य प्रकार के अवकाश का हकदार नहीं होगा।

8– संविदा शाला शिक्षक तथा उनके पद स्थानांतरणीय नहीं है ,तथा संबंधित को पदस्थापना स्थान पर मुख्यालय बनाकर रहना होगा।

9– इन नियमों के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति को मंहगाई भत्ता, गृहभाड़ा , या कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

10– इन नियमों के अधीन सेवाओं का पर्यवसान,पदावधि के अवसान के पूर्व किसी भी ओर से एक माह की सूचना देकर या उसके स्थान पर एक माह की संविदा राशि चुकाकर किया जा सकेगा।

11– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर शासकीय सेवकों की नियुक्ति के लिये पात्रता हेतु बनाए गए नियम या जारी किये गये निर्देश संविदा शाला शिक्षकों को भी लागू होंगे।

12– इन नियुक्तियों मे अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, एवं महिला,विकलांग भूपपूर्व सैनिक का नियमानुसार आरक्षण रखा गया है।

13– नियुक्त संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–एक को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से सात दिवस में जिला पंचायत मुरैना में उपस्थित होकर उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे साथ ही जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का ही मान्य किया जावेगा एवं समस्त मूल प्रमाण पत्र परीक्षण एवं अवलोकन हेतु प्रस्तुत करेंने होंगे,तथा निर्धारित प्रारूप में करार नामा प्रस्तुत

(हस्ताक्षर)
30/6/03

(हस्ताक्षर)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा–1)
मंत्रालय, भोपाल

Scanned with OKEN Scanner

करना होगा। जिसकी पात्रता उपरोक्त यथास्थित संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-एक की पदस्थापना मान्य होगी। जिन अभ्यर्थियों के पास अनुविभागीय अधिकारी राजस्व 'का' जाति प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है वे अभ्यर्थी 15 दिवस के अन्दर अपना जाति प्रमाण-पत्र जो कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा प्रमाणित हो प्रस्तुत करेंगे। अन्यथा इसके अभाव में संबंधित की नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी।

14— नियुक्त शाला संविदा शिक्षक को उपस्थिति के समय या तुरन्त बाद जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही प्रथम मासिक संविदा राशि का भुगतान किया जावेगा।

15— संबंधित संविदा शाला शिक्षक को चरित्र सत्यापन पुलिस विभाग से कराकर कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस के भीतर जिला पंचायत मुरैना में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। पुलिस विभाग से विपरीत टीप आने पर अथवा पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र समयावधि में प्राप्त न होने की दशा में सम्बन्धित संविदा शाला शिक्षक की सेवाऐं समाप्त मानी जावेगी।

16— चयनित संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-एक के द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक अर्हता के प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित बोर्ड/विश्व विद्यालय से कराया जावेगा। सत्यापन कराये जाने पर यदि प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो संबंधित की सेवायें स्वतः समाप्त हो जावेगी साथ ही संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हेतु भारतीय दण्ड विधान की धारा 420 के अन्तर्गत पुलिस प्रकरण भी दर्ज कराया जावेगा।

क्र.	चयनित संविदा शाला शिक्षक का नाम / पिता का नाम एवं पता	आरक्षण का प्रवर्ग	विषय	पदांकित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1.	श्री राकेश कुमार पुत्र श्री रामचरण, ग्राम बड़फरा पोस्ट बरेह तहसील अम्बाह जिला मुरैना	अनु0जाति (विकलांग)	हिन्दी	शा.उ.मा.वि.जग्गाका पुरा
2.	श्रीमती सुनीता सिंह/श्री पूरनलाल, केन्द्रिय विद्यालय मुरैना अम्बाह रोड पो.जीगनी जिला मुरैना	अनु0जाति (महिला)	हिन्दी	शा.उ.मा.वि. दतहरा
3.	श्री रामदत गहलोत पुत्र श्री फुन्दीलाल गहलोत ग्राम बड़फरा पोस्ट बरेह तहसील अम्बाह जिला मुरैना	अनु0जाति (अन्य)	हिन्दी	शा.उ.मा.वि. सुजरमा
4.	श्री पवन कुमार बरेलिया पुत्र श्री श्यामलाल	अनु0जाति (अन्य)	अंग्रेजी	शा.उ.मा.वि.किशोरगढ
5	श्री रवीकान्त सिंह पुत्र श्री मानसिंह पावक 54—सरसई पुरा नई कलेक्ट्रेट के पास बाई पास रोड भिण्ड	अनु0जाति (महिला)	अंग्रेजी	शा.उ.मा.वि.सुजरमा
6	श्री पानसिंह करोरिया पुत्र श्री भैरोसिंह द्वारा डॉ0एम.एल.करोरिया शिव मेडीकल हॉल शा0कन्या पाठशाला रोड अम्बाह जिला मुरैना	अनु0जाति (अन्य)	कृषि	शा.उ.मा.वि.रजौधा
7	श्री बृजमोहन सोलंकी पुत्र श्री रामजीलाल सोलंकी ग्राम व पोस्ट गुंजावली तह. व जिला मुरैना	अनु0जाति (अन्य)	कृषि	शा.उ.मा.वि.किशोरगढ
8	श्रीमती अरूणा पत्नी श्री बृजेन्द्र कुमार म.नं. 588 सुरेश नगर थाटीपुर मुरार ग्वालियर	अनु0जाति (महिला)	भौतिक शास्त्र	शा.उ.मा.वि.डिमनी

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा—1)
मंत्रालय, भोपाल

Scanned with OKEN Scanner

1	2	3	4	5
9	श्री गणपति सिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] वार्ड कमांक–10 अम्बाह जिला मुरैना	अनु0जाति (अन्य)	भौतिक शास्त्र	शा.उ.मा.वि.[illegible],
10	कु0अर्चना सगर पुत्री श्री लालाराम सगर	अनु0जाति (अन्य)	जीव विज्ञान	शा.उ.मा.वि.[illegible]
11	श्री शिवसिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह ग्राम बड़पुरा (जौहा) पोस्ट जौहा त0आबाह जिला मुरैना	अनु0जाति (महिला)	जीव विज्ञान	शा.उ.मा.वि.[illegible]
12	श्री पूरनलाल कश्यप पुत्र श्री सुखराम कश्यप द्वारा श्री गोपालप्रसाद, माथुर, रतनसिंह कॉलोनी मंडी विजयपुर जिला श्योपुर	अनु.जनजाति (अन्य)	इतिहास	शा.उ.मा.वि.जगना [illegible] का पुरा
13	श्री ज्ञानचन्द तिग्गा पुत्र श्री नजारियुस तिग्गा सरकारी अस्पताल के पीछे विधायक गली रेतपुरा अम्बाह जिला मुरैना	अनु.जनजाति (महिला)	इतिहास	शा.उ.मा.वि.रामपुरकलां

(ए0के0शिवहरे)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,मुरैना (म0प्र0)

पृ0कमांक / शिक्षा / शा.सं.शि. / भर्ती / 2003 / 6517 मुरैना,दिनांक 30 / 6 / 2003

प्रतिलिपि–

1– प्रमुख सचिव म0प्र0शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल ।
2– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन ग्रामीण विकास विभाग भोपाल।
3– आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म0प्र0भोपाल ।
4– आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना म0प्र0 ।
5– कलेक्टर जिला मुरैना म0प्र0 ।
6– जिला शिक्षा अधिकारी जिला मुरैना ।
7– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मुरैना / अम्बाह / कैलारस / सबलगढ़ / जौरा / पोरसा जिला मुरैना ।
8– विकास खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड मुरैना / अम्बाह / कैलारस / सबलगढ / जिला मुरैना ।
9– संबंधित प्राचार्य शा0उ0मा0वि0........................ जिला मुरैना की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10– संबंधित संविदा शाला शिक्षक श्री / श्रीमती / कु0 [illegible] की ओर पालनार्थ । आदेश जारी होने के सात दिवस के अंतर्गत जिला पंचायत मुरैना में उपस्थित होकर संबंधित संस्था में उपस्थित होना सुनिश्चित करें अन्यथा समयावधि में उपस्थित न होने की दशा में संविदा नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी ।

30/6

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,मुरैना(म0प्र0)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा–1)
मंत्रालय, भोपाल

Scanned with OKEN Scanner